वी.के. से पहले बाली, जे.

रीता शर्मा एवं अन्य,-अपीलकर्ता

बनाम

पैन चंद और अन्य, -प्रतिवादी

एफ.ए.ओ. संख्या 419 ऑफ 86

13 मई 1997

मोटर वाहन अधिनियम, 1988—धारा 110-ए—कर्मचारी रु. 2,200 अपराह्न—मोटर दुर्घटना में मृत्यु—निर्भरता—40 वर्ष की आयु में मृतक की आयु का निर्धारण—18 का गुणक लागू किया जाएगा। '

अभिनिर्धारित है कि किसी कर्मचारी की आय का एक तिहाई हिस्सा हटाने और फिर इस न्यायालय के मद्देनजर निर्भरता पर काम करने का फार्मूला वर्तमान परिदृश्य में अच्छा नहीं है। कोई भी व्यक्ति स्वयं पर खर्च करने के बारे में तब तक नहीं सोच सकता है, जब तक कि वह पहले अपने परिवार की जरूरतों को पूरा न कर ले। यह सच है कि एक कर्मचारी कार्यालय जाने और खुद को बनाए रखने के लिए आवश्यक सभी चीजें खर्च कर सकता है, लेकिन यह किसी भी तरह से उसकी पहली/तिहाई आय को खर्च करने की सीमा तक नहीं जा सकता है।

(पैरा 7)

इसके अलावा, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि मृतक को अपने तीन नाबालिग बच्चों और उनके माता-पिता की देखभाल करनी थी, इस न्यायालय का दृढ़ विचार है कि मृतक रुपये से अधिक कुछ भी खर्च नहीं कर सकता है। खुद पर 200 रु. इस तथ्य को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि मृतक को पदोन्नति मिली होगी और उसे बेहतर भविष्य और बेहतर परिलब्धियाँ मिली होंगी।

जब उनकी मृत्यु हुई तब वह केवल 40 वर्ष के थे और उन्होंने निश्चित रूप से 18 वर्ष और सेवा की होती। इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता को ध्यान में रखते हुए, दावेदारों की निर्भरता रुपये 2,400 प्रति माह. 18 के गुणक को लागू करने पर, जैसा कि विद्वान न्यायाधिकरण ने लागू किया, मुआवजा रुपये 4,60,000 बनता है। जिसके लिए अपीलकर्ता हकदार हैं। वे मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के समक्ष आवेदन दायर करने की तारीख से 12% ब्याज के भी हकदार होंगे।

अपीलकर्ताओं की ओर से श्री राजेश गर्ग, अधिवक्ता।

, श्री महराज बख्श सिंह, वकील, प्रतिवादियों की ओर से।

निर्णय

वी.के. बाली, जे (मौखिक)।

वी. के. बाल , जे. *(*मौ खक*)*।

(1) रीता शर्मा, एक विधवा, जिसके 6, 4 और 11 वर्ष के तीन नाबालिग बच्चे हैं और साथ ही वी.के. के आश्रित माता-पिता भी हैं। राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड, बॉम्बे में कार्यरत जूनियर इंजीनियर शर्मा ने मोटर वाहन अधिनियम की धारा 110-ए के तहत रुपये 6,00,000 की राशि का दावा करते हुए याचिका दायर की थी। श्री वी.के. की मृत्यु के कारण शर्मा उस दिन मोटर साइकिल संख्या एचपीजी-1269 चला रहे थे। मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने अपने आदेश दिनांक 30 जनवरी, 1986 के तहत रुपये1,12,200. के मुआवजे की अनुमति दी। दावेदार-अपीलकर्ताओं ने मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा लंबित मामलों का काफी कम आकलन करके उन्हें दिए गए अपर्याप्त मुआवजे के खिलाफ यह अपील दायर की है। एमएसीटी ने यह भी माना कि दुर्घटना अपराधी वाहन यानी मोटर साइकिल नंबर पीयूडी-789 और मृतक जो मोटर साइकिल नंबर एचपीजी-1269 चला रहा था, की लापरवाही के कारण हुई। यह निष्कर्ष भी इस अपील में चुनौती के अधीन है।

(2) मोटर वाहन अधिनियम की धारा 110-ए के तहत याचिका में दावेदारों द्वारा अन्य बातों के अलावा यह दलील दी गई थी कि 16 नवंबर, 1984 को लगभग 11.00 बजे, वी.के. शर्मा (मृतक) ऊना नंगल रोड से अपनी मोटर साइकिल संख्या एचपीजी-1269 पर सामान्य गति से नंगल टाउनशिप की ओर जाने के लिए आ रहा था, लेकिन जब वह टाउनशिप की ओर जाने के लिए क्रॉसिंग से गुजर रहा था, तभी एक अन्य मोटर साइकिल संख्या पीयूडी-789 आ गई। राम सरूप द्वारा संचालित मोटर साइकिल गीता मंदिर रोड नंगल की ओर से बहुत तेज गति से आई और उक्त मोटर साइकिल के चालक ने वी.के. द्वारा संचालित मोटर साइकिल को टक्कर मार दी। शर्मा. जिसके परिणामस्वरूप, बाद में उन्हें कई चोटें लगीं और फिर उन्हें पीजीआई ले जाया गया और अगले दिन यानी 17 नवंबर, 1984 को उनकी चोटों के कारण मौत हो गई। वी.के. शर्मा राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड, बॉम्बे में कार्यरत जूनियर इंजीनियर थे और रुपये 3,000 प्रति माह प्राप्त कर रहे थे।

(3) प्रक्रिया के अनुसरण में, प्रतिवादी संख्या 1 और 2 ने स्पष्ट रूप से अपने दायित्व से इनकार करते हुए लिखित बयान दायर किया। उन्होंने दलील दी कि मृतक खुद ही दुर्घटना का लेखक था। प्रतिवादी संख्या 3 न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी ने भी दावे का विरोध किया। दलील दी गई कि मोटर साइकिल नंबर पीयूडी-749 का बीमा नहीं था। 23 जुलाई, 1984 को दायर जवाब में ट्रिब्यूनल ने मोटर साइकिल के नंबर में सुधार की अनुमति दे दी थी, क्योंकि ट्रिब्यूनल के अनुसार यह गलती अनजाने में हुई थी।

पक्षों की दलीलों पर, ट्रिब्यूनल ने निम्नलिखित मुद्दे तय किए: -

1.क्या जिस दुर्घटना में विनोद कुमार को घातक चोटें आईं, वह उसके चालक राम सरूप प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा मोटर साइकिल नंबर पीयूडी-789 को तेजी से और लापरवाही से चलाने का परिणाम था? ऑप

2.क्या दावेदार मुआवजे के हकदार हैं? यदि हां, तो कितनी राशि और किससे? ओपीपी.

3. राहत.

मुद्दे नंबर 1 का निर्धारण करते समय, ट्रिब्यूनल ने अपने निष्कर्ष दर्ज किए कि दुर्घटना इसका परिणाम थी। ऐसा मानते हुए, ट्रिब्यूनल ने माना कि दावेदार 50% क्षति/मुआवजा के

हकदार थे। मुद्दा संख्या 2 के तहत, ट्रिब्यूनल ने लौटने के बाद पाया कि मृतक रुपये2,200 प्रति माह कमा रहा था।, रुपये 1,450 प्रति माह की दर से दावेदारों की निर्भरता की गणना की गई। और यह माना गया कि 750रुपये की राशि। मृतक ने स्वयं पर रुपये 1,12,200.खर्च किये होंगे. 16 का गुणनफल लागू करके, ट्रिब्यूनल ने रुपये का मुआवजा दिया।

(4) अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने दृढ़तापूर्वक तर्क दिया कि विद्वान न्यायाधिकरण ने यह मानते हुए स्पष्ट रूप से गलती की है कि यह अंशदायी लापरवाही का मामला था। उन्होंने आगे तर्क दिया कि किसी भी तर्क से यह नहीं माना जा सकता कि मृतक रुपये 750 की राशि खर्च कर रहा था निर्भरता को बहुत कम माना गया है।

(5) पक्षों के विद्वान वकील को सुनने और मामले के रिकॉर्ड को देखने के बाद, इस न्यायालय का मानना है कि अपीलकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील द्वारा उठाए गए दोनों बिंदुओं में योग्यता है। दो चश्मदीद गवाहों राम प्रकाश और बसंत कुमार से क्रमशः पीडब्लू1 और पीडब्लू2 के रूप में पूछताछ की गई। उन दोनों ने स्पष्ट शब्दों में दुर्घटना के लिए दोषी वाहन के चालक राम सरूप को जिम्मेदार ठहराया। उनके बयानों से स्पष्ट है कि मोटर साइकिल नंबर का चालक राम सरूप। पीयूडी-789 अपनी मोटर साइकिल बहुत तेज गति से चला रहा था जबकि दूसरे वाहन यानी मृतक द्वारा चलाया जा रहा वाहन का चालक धीमी गति से चला रहा था। उनके बयानों से यह भी पता चलता है कि जहां तक मृतक का सवाल है, वह मुख्य सड़क पर था जबकि राम सरूप की मोटर साइकिल गीता मंदिर रोड से मुख्य सड़क में प्रवेश कर गई थी। यहाँ तक कि राम सरूप ने भी जब गवाह के रूप में उपस्थित होकर यह बात कही

“दूसरा मोटर साइकिल चालक ऊना रोड से आ रहा था, गीता मंदिर रोड ऊना रोड में मिलती है। दुर्घटना के समय यातायात को नियंत्रित करने के लिए उस क्रॉसिंग पर ड्रम रखे गए थे।

इस न्यायालय के समक्ष इस बात पर विवाद नहीं किया जा सकता है कि यातायात नियमों के अनुसार मुख्य सड़क में प्रवेश करने वाले व्यक्ति को मुख्य सड़क पर चल रहे वाहन को पास देना आवश्यक है। तथ्य यह है कि राम सरूप ने लिंक रोड से मुख्य सड़क में प्रवेश किया था और उसके परिणामों पर ट्रिब्यूनल द्वारा ध्यान नहीं दिया गया था।

तथ्य यह है कि दुर्घटना क्रॉसिंग पर हुई थी और राम सरूप-प्रतिवादी नंबर 2 के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया गया था, ट्रिब्यूनल के सामने पेश किए गए सबूतों के आलोक में इसका कोई मतलब नहीं था। जहां तक मामला दर्ज करने का सवाल है, यहां यह बताना जरूरी है कि भले ही राम सरूप के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया गया था और मृतक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, लेकिन बाद में उसे रद्द कर दिया गया था।

(6) रिपोर्ट किसी जीप के चालक द्वारा दर्ज कराई गई थी, जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि एक्ज़िबिट आरडब्ल्यू 3/ए के रूप में रिकॉर्ड पर लगाई गई थी, जिसमें बताया गया था कि विनोद कुमार शर्मा तेज गति से आ रहे थे, जबकि दूसरी मोटर साइकिल भी दूसरी तरफ से आ रही थी। और दोनों की क्रॉसिंग पर टक्कर हो गई. जिरह के दौरान, आरडब्ल्यू 3 ने कहा कि उक्त मामले को अनट्रेस्ड होने के कारण रद्द कर दिया गया था, उन्होंने आगे बताया कि उक्त शब्द 'अनट्रेस्ड' को हटा दिया गया था और इसके बजाय 'रद्द' शब्द दर्ज किया गया था। उन्होंने

कारण बताया कि इस मामले की सत्यता का पता लगाने के लिए इसकी जानकारी कंप्यूटर में फीड की गयी थी. उन्होंने आगे कहा कि उक्त रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है और इसलिए इस पर ध्यान नहीं दिया गया और इसे रद्द कर दिया गया। यदि पुलिस स्वयं यह मानती है कि जीप चालक के बयान के आधार पर दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट में कोई सच्चाई नहीं है, तो इस मामले को अंशदायी मानने के लिए उस पर विचार नहीं किया जा सकता है। लापरवाही। किसी भी कोण से देखने पर, इस न्यायालय का मानना है कि मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने मामले को अंशदायी लापरवाही का मानकर गलती की है

(7) मृतक की उम्र 40 वर्ष थी और उसे कम से कम 58 या 60 वर्ष की आयु यानी सेवानिवृत्ति की तारीख तक सेवा में रहना होता। इस न्यायालय के विचार में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने यह निर्णय लेने में स्पष्ट रूप से गलती की कि मृतक को खुद पर 750 रु. की राशि खर्च करनी होगी कोई भी कर्मचारी, चाहे वह जूनियर इंजीनियर ही क्यों न हो, इतना नहीं कमा सकता कि वह अपनी आय का एक तिहाई हिस्सा खुद पर खर्च कर सके, खासकर तब जब उसे अपने परिवार, वर्तमान मामले में पत्नी और तीन नाबालिग बच्चों की देखभाल करनी हो। रसोई चलाने और जीवन की आवश्यक वस्तुओं पर खर्च करने से इस देश में किसी भी कर्मचारी का वेतन लगभग समाप्त हो जाता है। "किसी कर्मचारी की आय का एक तिहाई हिस्सा हटाने और फिर इस न्यायालय के मद्देनजर निर्भरता पर काम करने का फॉर्मूला वर्तमान परिदृश्य में अधिक उपयुक्त नहीं है। कोई भी व्यक्ति स्वयं पर खर्च करने के बारे में तब तक नहीं सोच सकता है, जब तक कि वह पहले अपने परिवार की जरूरतों को पूरा न कर ले। यह सच है कि एक कर्मचारी कार्यालय जाने के लिए और जैसा कि ऊपर बताया गया है खुद को बनाए रखने के लिए आवश्यक सभी खर्च कर सकता है, लेकिन यह किसी भी तरह से उसकी आय के एक तिहाई हिस्से तक नहीं जा सकता है।'

(8) इस स्तर पर श्री महाराज बख्श सिंह का कहना है कि मृतक की विधवा ने खुद जिरह में कहा था कि उसका पति उसे रुपये देता था। घरेलू खर्च के लिए 1,500 रु. हालाँकि, विधवा के बयान से यह कहीं भी स्पष्ट नहीं है कि उसका पति कुछ भी खर्च नहीं कर रहा था और घर चलाने के लिए उसे रु. 1,500 पर्याप्त थे. यदि, इसलिए, उसका पति उसे रुपये दे रहा था। 1,500 रुपये केवल उन वस्तुओं पर खर्च करने के लिए हो सकते हैं जिन्हें पति के उपलब्ध नहीं होने पर खरीदा जाना आवश्यक था। इस तथ्य पर विचार करते हुए कि मृतक को अपने तीन नाबालिग बच्चों और अपने माता-पिता की देखभाल करनी थी, इस न्यायालय का दृढ़ विचार है कि मृतक रुपये से अधिक कुछ भी खर्च नहीं कर सकता है। खुद पर 200 रु. इस तथ्य को भी नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता कि मृतक को पदोन्नति मिली होगी और उसका भविष्य बेहतर होगा और उसे बेहतर परिलब्धियाँ मिलेंगी। जब उनकी मृत्यु हुई तब वह केवल 40 वर्ष के थे और उन्होंने निश्चित रूप से 18 वर्ष और सेवा की होती। इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता को ध्यान में रखते हुए, दावेदारों की निर्भरता रुपये पर काम करना होगा। 2,400 प्रति माह. 18 के गुणक को लागू करने पर, जैसा कि विद्वान न्यायाधिकरण ने लागू किया, मुआवजा रुपये बनता है। 4,60,000 जिसके लिए अपीलकर्ता हकदार हैं। वे मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के समक्ष आवेदन दायर करने की तारीख से 12% ब्याज के भी हकदार होंगे।

(9) मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के आदेश को ऊपर बताई गई सीमा तक संशोधित किया गया है। तदनुसार वर्तमान अपील स्वीकार की जाती है। दावेदार उसी अनुपात में

मुआवजे की राशि के हकदार होंगे जो मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित है। लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

आकांक्षा सैनी

प्रशिक्षु न्यायिक पदाधिकारी

सोनीपत(हरियाणा)